(9)

संख्या—63

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 19 मार्च, 2003

फाल्गुन 28, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 367/सात—वि—1—1 (क)-4-2003

लखनऊ, 19 मार्च, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 12 मार्च, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2003)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह 10 फरवरी, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में उपखण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जायेगा और 27 मार्च, 2001 को बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात् :--

"(छ) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र ;"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) की धारा 4 की उपधारा (1) में यह व्यवस्था है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाहर का स्थान सम्मिलित है, से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के, उपभोग, प्रयोग या उसमें विक्रय के लिए प्रवेश पर कर उद्ग्रहण और संग्रहण, माल के मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर किया जायेगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में पद "स्थानीय क्षेत्र" को परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2001) द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का संशोधन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र से अपवर्जन के कारण औद्योगिक विकास क्षेत्र को "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा की परिधि से अपवर्जित कर दिया गया है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि वर्ष 2000 के उक्त अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए सन् 1976 के उक्त अधिनियम के अधीन इस रूप में घोषित किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र को "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2003 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
सचिव।

No. 367 (2)/VII-V-1—1(KA) 4-2003
Dated Lucknow, March 19, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 12, 2003.

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS (AMENDMENT) ACT, 2003

(U.P. ACT NO. 5 OF 2003)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows: -

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 10, 2003.

Amendment of section 2 of U.P. Act. no. 12 of 2000

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Tax a Entry of Goods Act, 2000, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause *(c) after* sub-clause *(v)* the following sub-clause shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* on March 27, 2001, namely:–

"*(vi)* any Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976."

Repeal and Savings

U.P. Ordinance no. 2 of 2003

3. (1) The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 (U.P. Act no. 12 of 2000) provides that there shall be levied and collected a tax on entry of any goods specified in the Schedule into a local area from any place outside that local area including a place outside the Uttar Pradesh for consumption, use or sale therein, at such rates not exceeding five per cent of the value of the goods as may be specified by the State Government by notification. In clause *(c)* of sub-section (1) of section 2 of the said Act the expression "local area" has been defined. On account of the exclusion of industrial development area from Panchayat area by amending the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 by the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 4 of 2001) the industrial development area has been excluded from the ambit of the definition of the "local area". It was, therefore, decided to amend section 2 of the said Act of 2000 to provide for the inclusion of any industrial development area declared as such under the said Act of 1976 in the definition of the "local area".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Ordinance, 2003 (U.P. Ordinance no. 2 of 2003) was promulgated by the Governor on February 10, 2003.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
R.B. RAO,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 1084 राजपत्र (हि0)–2003–(2531)–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 265 सा० विधायी–19.3.2003–(2535)–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।